

राजस्थान



सरकार

संस्कृत विभाग

# राजिस्तीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक ... ३-२४-२२२४-०९ ...



यह प्रमाणित किया जाता है कि

राजस्थान राजिस्तीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम नं. 28, 1958) के अन्तर्गत

राजस्थान संस्था राजिस्तीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम नं. 28, 1958) के अन्तर्गत राजिस्तीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कागजात की सील से आज दिनांक ... को

माह ... सन् दो हजार ... को धौलपुर में जारी किया गया।

  
राजिस्टरार संस्थाएं,  
धौलपुर